



कार्यालय आदेश

यह उपसचिव स्तर एवं ऊपर के सभी अधिकारियों की सूचना के लिए अधिसूचित है कि आवासीय टेलीफोन/इंटरनेट/मोबाइल फोन की प्रतिपूर्ति रू. 1100/- (बिना इंटरनेट की सुविधा) और रू. 1500/- (इंटरनेट सुविधा के साथ) की दर से की जाएगी। इसके अतिरिक्त बिल में दर्शाए/चार्ज किए अनुसार वेट/सेवाकर की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। यह अधिसूचना पूर्व की अधिसूचना सं. सीबीएसई/प्रशा.॥टेलीफोन/ 2008/10973-11073 दिनांक 13/02/2008 का अधिक्रमण करती है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-

(ए.एस. वर्मा)

सयुक्त सचिव(प्रशा. एवं विधि)

वितरण:

1. अध्यक्ष के उप सचिव/अध्यक्ष के कार्यकारी अधिकारी
2. सचिव/निदेशक/परीक्षा नियंत्रक के वैयक्तिक सहायक
3. उप सचिव के समकक्ष एवं ऊपर के सभी अधिकारी
4. सभी क्षेत्रीय अधिकारी
5. हिंदी अधिकारी के हिंदी अनुवाद के निवेदन के साथ